न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–111/2019 प्रार्थना पत्र

1–श्री अब्दुल रसीद पिता बशीर मोहम्मद खाती जाति मुसलमान, उम्र बालिग निवासी सांगानेरी गेट, पेट्रोल पम्प के पीछे, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्री रईस अहमद पिता अब्दुल रशीद खाती जाति मुसलमान, उम्र बालिग निवासी सांगानेरी गेट, पेट्रोल पम्प के पीछे, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–श्री मोहम्मद रमजान पिता अब्दुल रशीद खाती जाति मुसलमान, उम्र बालिग निवासी सांगानेरी गेट, पेट्रोल पम्प के पीछे, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ––––प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री उदयलाल पिता हीरालाल जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–6.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2382 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 3.4.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 2 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

हाल आराजी नम्बर 2382 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 250/–रूपये (दौ सौ पचास रूपये) कम्श्निर फीस पर कम्श्निर नियुक्त किया जाता हैं। कम्श्निर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कम्श्निर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरग़ढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner